

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2927]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 2927]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

**का.आ. 3906(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्या 300, तारीख 28 जनवरी, 2013 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के 78.99 हेक्टर (लगभग) या 195.11 एकड़ (लगभग) में, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 78.99 हेक्टर (लगभग) या 195.11 एकड़ (लगभग) माप की भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

**टिप्पण 1 :** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुलाई, 2013 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, कुजु क्षेत्र, जिला रामगढ़, झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रखंड), सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

**टिप्पण 2 :** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-

**अर्जन की बाबत आपतियां :**

8. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

**टिप्पण 3 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

**अनुसूची**

पिंडरा खुली खदान परियोजना

जिला-हजारीबाग (झारखण्ड)

(रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुलाई, 2013)

**सभी अधिकार :**

| क्रम सं.                                       | मौजा / ग्राम | थाना  | थाना संख्या | जिला का नाम | क्षेत्र एकड़ में (लगभग) | टिप्पणियां |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------------------|------------|
| 1                                              | पिंडरा       | मांडू | 52          | हजारीबाग    | 195.11                  | भाग        |
| कुल: 195.11 एकड़ (लगभग) या 78.99 हेक्टर (लगभग) |              |       |             |             |                         |            |

ग्राम पिंडरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या: 6,9, 10, 11, 13, 31, 40, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 83, 90, 94, 96, 98, 103, 122, 142, 177, 213(भाग), 214(भाग), 106, 112, 113, 131, 164, 176, 36, 215, 216, 2/220, 15/223, 50, 200, 53, 142, 213 ।

**सीमा वर्णन:**

|            |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क-ख-ग-घ-ड. | रेखा बिन्दु 'क' से आरम्भ होती है और सीमरा नदी के मध्य रेखा प्लॉट संख्या 106 से गुजरती है और ग्राम हुआँग और पिण्डरा, पिण्डरा और रबोध, पिण्डरा और डटमा के सम्मिलित सीमा रेखा से गुजरती है और बिन्दु 'ड.' पर मिलती है। |
| ड.-च-छ     | रेखा बिन्दु 'ड.' करजवा नदी प्लॉट संख्या 216, 215, 200 के मध्य रेखा से गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।                                                                                                          |
| छ-क        | रेखा बिन्दु 'छ' दुमुहानी नदी प्लॉट संख्या 164 के मध्य रेखा से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।                                                                                                           |

[फा. सं. 43015/25/2012-पीआरआईडब्ल्यू-1]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COAL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2013

**S. O. 3906(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 300, dated the 28th January, 2013, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9<sup>th</sup> February, 2013, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 78.99 hectares (approximately) or 195.11 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification.

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 78.99 hectares (approximately) or 195.11 acres (approximately) and all rights in and over the said land as described in the Schedule appended hereto.

**Note 1:** The plan bearing number Rev/08/2013, dated the 19th July, 2013 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Hazaribagh, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001, or at the office of the General Manager, Kuju Area, District Ramgarh, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

**Note 2 :** Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows :—

**Objections to acquisition:**

8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.— It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of right in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

**Note 3 :** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

**SCHEDULE**

Pindra Open Cast Project  
District - Hazaribagh (Jharkhand)

(Plan bearing number Rev/08/2013, dated the 19th July, 2013)

**All rights:**

| Sl. No.                                                               | Mauja/ Village | Thana | Thana number | Name of District | Area in acres<br>(approx-<br>imately) | Remarks |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| 1.                                                                    | Pindra         | Mandu | 52           | Hazaribagh       | 195.11                                | Part    |
| Total: 195.11 acres (approximately) or 78.99 hectares (approximately) |                |       |              |                  |                                       |         |

Plot numbers to be acquired in village Pindra: 6, 9, 10, 11, 13, 31, 40, 54, 57, 60, 63, 67, 68, 71, 83, 90, 94, 96, 98, 103, 122, 142, 177, 213(Part), 214(Part), 106, 112, 113, 131, 164, 176, 36, 215, 216, 2/220, 15/223, 50, 200, 53, 142, 213.

**Boundary description:**

|           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-B-C-D-E | Line start from point 'A' passes through center line of Simra Nadi Plot No.106 and common boundary of village Huwag and Pindra, Pindra and Rabodh, Pindra and Datma and meets at point 'E'. |
| E-F-G     | Line passes through point 'E' passes through center line of Karjwa Nadi Plot No. 216, 215, 200 and meets at point 'G'.                                                                      |
| G-A       | Line passes through point 'G' passes through center line of Dumuhani Nadi Plot No. 164 and meets at starting point 'A'.                                                                     |

[F. No. 43015/25/2012- PRIW-I]

VIVEK BHARDWAJ, Jt. Secy.